

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2021/338

मुकदमा नम्बर 100/2021

दायर दिनांक-16.07.2021

1. मोहन सिंह पुत्र किशनाराम
2. जयराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बलवन्तपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
..... वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र कुम्भाराम
2. हरफूल पुत्र कुम्भाराम
3. बनवारी पुत्र कुम्भाराम (फौत)
3/1 जितेन्द्र पुत्र बनवारी
3/2 अनिल पुत्र बनवारी
3/3 बिमला पत्नी बनवारी, जाति जाट निवासीगण बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
4. रामनिवास पुत्र कुम्भाराम
5. गुलाब पुत्र कुम्भाराम
6. विनोद पुत्र कुम्भाराम
7. महेन्द्र पुत्र कुम्भाराम
8. श्याना पुत्री कुम्भाराम
9. बिमला पत्नी कुम्भाराम
10. सुमिता पुत्री कुम्भाराम
11. मंजू पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
12. रघुवीर पुत्र डूंगाराम
13. त्रिलोकचन्द पुत्र डूंगाराम
14. जमना देवी पुत्री डूंगाराम
15. सुमित्रा देवी पुत्री डूंगाराम
16. केशरदेवी पुत्री डूंगाराम
17. मनकोरी पत्नी डूंगाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू हाल आबाद ग्राम बाकरा तहसील व जिला झुझुनू
18. आशा देवी पत्नी विनोद
19. सरोज पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासीगण ग्राम बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
20. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घुमच्चकर नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

21. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुंझुनू
..... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री अशोक जांगिड
प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2- श्री राजेश गुर्जर (इकबालिया)
प्रतिवादी सं. 3/1 लगा. 3/3- श्री विप्लव पण्डित
प्रतिवादी सं. 4 लगा. 7- श्री राजेश गुर्जर (इकबालिया)
प्रतिवादी सं. 8 लगा. 17- (इकबालिया)
प्रतिवादी सं. 18, 19- श्री बाबूलाल वर्मा (इकबालिया)
प्रतिवादी सं. 20- हीत सुरक्षित रखने की शर्त पर एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 21- पैरो. राज.

-:निर्णय:-

निर्णय दिनांक 27.10.2025

वाद वादी दिनांक 16/01/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/8616 दिनांक 02/07/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2021/338

मुकदमा नम्बर 100/2021

दायर दिनांक-16.07.2021

(मोहन सिंह बनाम रामकरण वगै0)

दावा – घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञाडिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब-मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 16/01/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/8616 दिनांक 02/07/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....
-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।
बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 27 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-